कार्यालय प्राचार्य, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा, छ0ग0

Ph.No.- 07774-230921, 9425585790 Email – rgpg.apur1960@gmail.com, www.rgpgcapur.ac.in

क्रमांक / 5891...... / स्था. / 2025 अम्बिकापुर, दिनांक 28/07/ 2025

//अतिथि व्याख्याता हेतु विज्ञापन (संशोधित)//

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक / 574 / 126 / आउशि / राज.स्था. / 2024 एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र. एफ 3–54 / स्था / 2020 / 38–1 दिनांक 20.06.2024 के अनुसार राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर में विषय रसायनशास्त्र – 01, भौतिकशास्त्र–02, अंग्रेजी–01, भूगर्भशास्त्र–01, वाणिज्य–01 पद, वनस्पतिशास्त्र– 01 पद, प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक एवं क्रीड़ा अधिकारी 01 पद के रिक्ती के विरूद्ध आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदक अपने समस्त प्रमाणपत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ दिनांक 02.08.2025 को सायं 05:00 बजे तक के रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा। अतिथि व्याख्याता नीति–2024 का अवलोकन महाविद्यालय के सूचना पटल / वेबसाइट www.rgpgcapur.ac.in पर किया जा सकता है।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताः–

1. अतिथि व्याख्याता, अतिथि क्रीड़ा अधिकारियों को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्चतर शिक्षा के मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक / क्रीड़ा सहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए, परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यार्थियों के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों में कार्य करने के लिए बिन्दु–1 के समान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ–साथ आवेदकों को अंग्रेजी माध्यम के अध्यापन का अनुभव तथा अध्यापन के दौरान छात्र / छात्राओं से अंग्रेजी माध्यम में संवाद कर पाठ्य–विषय से संबंधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदन अभ्यर्थियों की व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा सक्षमता एवं दक्षता के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
3. आयु सीमाः– अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं क्रीड़ा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।
4. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

रिक्त पदों की संख्या का विवरण

क्र.	विषय	रिक्त पदों की संख्या
1	रसायनशास्त्र	01
2	भौतिकशास्त्र	02
3	अंग्रेजी	01
4	वाणिज्य	01
5	भूगर्भशास्त्र	01
6	वनस्पतिशास्त्र	01
7	क्रीड़ा अधिकारी	01
	योग :–	**08**

नोटः– रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। यह विज्ञापन और इसमें उल्लिखित शर्ते उच्च शिक्षा कार्यालय एवं न्यायालयीन निर्णयों के अध्याधीन होंगे।

टीपः– संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

शर्तेः–

1. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाणपत्र, 10वी, 12वी, स्नातक, स्नातकोत्तर, पी–एचडी., नेट/सेट, एम. फिल. एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. दिनांक 02.08.2025 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जायेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन मान्य नही किया जावेगा। वर्तमान में ऑफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे है। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया ऑनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
3. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जायेगी। नोट– आवेदन की अधिकता होने पर निम्न तिथियों में परिवर्तन किये जा सकते है।
4. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 04.08.2025 तक होगी।
5. गुणानुक्रम अनुसार अंनतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 06.08.2025 तक होगी।
6. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 08.08.2025 को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
7. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नही है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय /महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नही पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नही की गई है।
8. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय–सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नही होता है तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नही किया जायेगा।
9. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नही होगा।

10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगाः–

क्र	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए			
1	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	400/–	300/–
2	चार कालखण्डों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/'– (41600/–प्रति माह अधिकतम	1200/'– (30000/–प्रति माह अधिकतम
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिए			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	500/–	350/–
4	चार कालखण्डों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/'– (50000/–प्रति माह अधिकतम	1200/'– 1400/–35000 प्रतिमाह अधिकतम
(स) दैनिक मानदेय			
5	विवरण	अतिथि क्रीड़ा अधिकारी	अतिथि क्रीड़ा सहायक
	दैनिक मानदेय (प्रतिदिवस न्यूनतम 07 घंटा कार्य अवधि)	1600/– प्रतिदिन (40000/– प्रतिदिन)	1200/–प्रतिदिन (30000/– प्रतिमाह अधिकतम

11. आवेदन बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखें।
12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालयीन स्थापन के अंतर्गत नही माना जायेगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नही कहलायेंगे।
13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
14. इन्हे सर्वत्र अनुशासन बनाये रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यो में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा ये आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नही होंगे।

Snehlata 28.7.25

प्राचार्य
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा